

निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या- 02/2019

दिनांक:-10.07.2019

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं०-160/एस.एल.एस.ए.-49/2016(दाताराम) दिनांकित 08.07.2019 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जनपद चित्रकूट में गठित स्थायी लोक अदालत धारा 22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत जन उपयोगी सेवाओं, यातायात सेवा, डाकतार व टेलीफोन सेवा, विद्युत प्रकाश व जल सेवा लोक सफाई व स्वच्छता प्रणाली सेवा अस्पताल व औषधि सेवा एवं बीमा सेवा के निस्ताणार्थ गठित स्थायी लोक अदालत जनपद चित्रकूट में एक सदस्य का पद रिक्त हैं जिसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है।

सदस्य पद हेतु अधिकतम पांच वर्ष के लिए चयन किया जाना है, जिसके लिए एक निर्धारित मानदेय मु० 1500/-प्रति बैठक एवं 5000/-प्रतिमाह सवारी भत्ता देय होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या:-160-एस.एल.एस.ए.-49/2016 (Dataram) दिनांकित 08 जुलाई 2019 के निर्देशानुसार उपरोक्त पदों हेतु पदधारण के समय आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उक्त पदों हेतु आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक मामले पंजीकृत/लंबित/दण्डित न हों, के सम्बन्ध में शपथपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त पद के आवेदन हेतु इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर निम्न पते पर रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें।

आवेदन की अन्तिम तिथि 03.08.2019 है। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

पता-सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

चित्रकूट।

नोट- उक्त आवेदन पत्र जनपद न्यायालय चित्रकूट की निम्न वेबसाइट <https://districts.ecourt.gov.in/chitrakoot> पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
चित्रकूट।

1. माननीय उच्च न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड किये जाने हेतु
2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नोटिस बोर्ड पर।
3. स्थायी लोक अदालत, चित्रकूट की नोटिस बोर्ड।
4. दीवानी न्यायालय की नोटिस बोर्ड।
5. अधिवक्ता संघ की नोटिस बोर्ड।
6. कलेक्ट्रेट की नोटिस बोर्ड।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्रकूट

Proforma for Advertisement

Notice regarding vacancy of Members in Permanent Lok Adalat

Application in the prescribed format is invited from persons having adequate experience in public utility services (transport service for the carriage of passengers or goods by air, road or water; or postal telegraph or telephone service; or supply of power, light or water to the public by any establishment; or system of public conservancy or sanitation; or service in hospital or dispensary; or insurance service; or banking service; or education or educational institutions; or housing and real estate services) for filling up the post of Member, PLA of the districts of UP.

Number of posts – (vacant post(s) in respective PLAs)

Entitlement : sitting fee of Rs. 1500/- per sitting and Rs. 5000/- conveyance allowance per month.

Period of appointment: The Member shall hold office for a term of 5 years or till the age of sixty-five years, whichever is earlier. Applicant must attach two recent passport photos and two self address stamped envelope with the application.

Last date of application: Application addressed to Chairman, District Legal Services Authority, Civil Court..... must reach latest by

Application (Proforma) for the post of Members, Permanent Lok Adalats

(Established under section, 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987)
(To be filled personally by the applicant)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Name | Self attested
photograph |
| (Capital letters) | |
| 2. Father's Name/W/O..... | |
| 3. Present address :.....
.....
Mobile & Landline No.
E-mail ID :..... | |
| 4. Occupation
..... | |
| 5. Permanent Address (attach copy of address
proof):.....
..... | |
| 6. Date of
Birth:..... | |
| 7. Educational Qualification :..... | |
| 8. Any other special qualification/achievement, If any:..... | |
| 9. Experience in the field of Public Utility Services/
Legal Services Institutions:..... | |
| 10. List of certificates attached | |

Date:

Place:

Signature of applicant

Note : Attach photocopies of relevant papers regarding point no. 5 to 8.
(Apply on the prescribed format on foolscap size paper)